संख्या-95/2021/468/23-9-2021-14नाबार्ड(सेतु)/2020टी0सी0

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत सेतुओ पर द्वितीय किस्त की धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-17सा0/नाबार्ड योजना (नये कार्य)/2020, दिनांक 20.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ योजनान्तर्गत संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा स्वीकृत 05 जनपदों यथा बरेली, चित्रकूट, सहारनपुर, बदायूं व कानपुर देहात के 07 सेतु कार्यों हेतु **सारिणी के स्तम्भ-11 के अनुसार** रू0 35,40,15,000/-(रूपये पैंतीस करोड़ चालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 29.4053 करोड़ एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 5.9962 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि केवल उक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतुओं की गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत् पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।
3- उक्त 07 सेतुओं के सेतु अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाये ।
4- संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-36-प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गो पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-00-24-वृहत् निर्माण कार्यमद एवं अनुदान सं-83 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-21-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण-00-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
4- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु)/ वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) ।
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
12- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-95/2021/468/23-9-2021-14नाबार्ड(सेतु)/2020टीसी, दिनांक 25 मार्च, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश सं0 व दिनांक	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्व में निर्गत आवंटन			वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त आवंटन		
					अनु0-57	अनु0-83	योग	अनु0-57	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बरेली	जनपद बरेली मं विकास खण्ड नबावगंज के अन्तर्गत वीरपुर भदपुरा नकटी नारायणपुर से अमीरनगर सम्पर्क मार्ग पर देवहा नदी पर सेतु	161/2020/1057/23-9-2020-08नाबाड(सेतु)/ 2019 दि0 11.12.2020	1903.15	299.90	80.73	380.63	712.76	0.00	712.76
2	चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में महादेवन -नागरपुरवा मार्ग पर बानगंगा नदी पर सेतु	161/2020/1057/23-9-2020-08नाबाड(सेतु)/ 2019 दि0 11.12.2020	1154.14	181.87	48.96	230.83	363.73	97.92	461.65
3	सहारन पुर	जनपद सहारनपुर में दिल्ली-यमुनौत्री मार्ग से रामनगर होते हु एढमोला नदी पर सेतु	161/2020/1057/23-9-2020-08नाबाड(सेतु)/ 2019 दि0 11.12.2020	648.74	102.23	27.52	129.75	319.96	86.04	406.00
4	बदायूं	जनपद बदायूं में तहसील सहसवान मजरा तौफी नगला पोस्ट रसूलपूर के ग्राम खिरकवारी मानपुर पुख्ता के निकट महावा नदी पर मुख्य सेतु	165/2020/961/23-9-2020-14नाबार्ड(सेतु)/ 2020टी0सी0 दि0 16.12.2020	1291.71	203.55	54.79	258.34	407.09	109.59	516.68
5	चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में ग्राम सगवारा-भटरी के मध्य बाल्मीकि नदी पर सेतु	165/2020/961/23-9-2020-14नाबार्ड(सेतु)/ 2020टी0सी0 दि0 16.12.2020	892.33	140.62	37.85	178.47	393.95	106.05	500.00
6	चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में तरौंहा-गोबरिया -विकलांग विश्वविद्यालय मार्ग पर मंदाकिनी नदी पर सेतु	165/2020/961/23-9-2020-14नाबार्ड(सेतु)/ 2020टी0सी0 दि0 16.12.2020	1107.67	174.54	46.99	221.53	349.09	93.97	443.06
7	कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात में सन्दलपुर ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम नैपलापुर -सन्दना के मध्य सेंगुर नदी पर सेतु	165/2020/961/23-9-2020-14नाबार्ड(सेतु)/ 2020टी0सी0 दि0 16.12.2020	947.18	149.25	40.18	189.43	393.95	106.05	500.00
			कुल योग-	**7944.92**	**1251.96**	**337.02**	**1588.98**	**2940.53**	**599.62**	**3540.15**

(अवमुक्त धनराशि रू0 पैंतीस करोड़ चालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।